

47

51man-11

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]  
No. 620]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, दिसम्बर 26, 2013/पौष 5, 1935  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSHA 5, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नौएडा, 5 दिसम्बर, 2013

**सा.का.नि. 797(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितीय) पद, भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रमंत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में प्रारूपकार श्रेणी -II पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, प्रारूपकार श्रेणी-II (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाब्द्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (6) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

| पद का नाम             | पद संख्या  | वर्गीकरण  | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान                    | चयन अथवा अधयन पद | सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा   | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |
|-----------------------|--|---|---|------------------|--|---|
| (1)                   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)              | (6)  | (7)   |
| प्रारूपकार श्रेणी -II | 1* (2013)<br>* कार्यभार के आचार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित | वेतन बैंड - 1<br>5200-20200 ₹<br>+ ग्रेड वेतन<br>2400 ₹ | चयन              | 18 से 27 वर्ष के बीच।<br><br>(समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।<br><br>टिप्पण 1.—आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।<br><br>टिप्पण 2.—रोजगार कार्यालय से प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत करने के लिए अवधारित की गई है। | अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समतुल्य से 10 + 2 उत्तीर्ण ;<br>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कंप्यूटर समर्थित डिजाइन सॉफ्टवेयर में एक विषय के साथ प्रारूपकारी में दो वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।<br><br>वांछनीय :<br>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में एक वर्ष के प्रारूपकारी का अनुभव।<br><br>टिप्पण 1.— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। |

|  |                             |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिदोषा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (8)  | (9)                         | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   |
| लागू नहीं होता   | दो वर्ष                     | सीधी भर्ती द्वारा  | लागू नहीं होता   | समूह 'ग', विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-<br>(1) निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत -अध्यक्ष<br>(2) प्रशासन अधिकारी, दीपस्तंभ और दीपपोत -सदस्य<br>(3) अवर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय -सदस्य | लागू नहीं होता।  |

[फा. सं. 3/6/2011-प्रशा. I]

कैप्टन ए. एम. सूरज, महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

**MINISTRY OF SHIPPING**  
(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)  
**NOTIFICATION**

Noida, the 5th December, 2013

**G.S.R. 797(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Lighthouses and Lightships, (Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial) Posts, Recruitment Rules, 2006, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Draughtsman Grade-II in the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Draughtsman Grade-II (Group 'C'), Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in those rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post.        | Number of posts.  | Classification.   | Pay band and grade pay or pay scale               | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits.  | Educational and other qualifications required for direct recruits.  |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| (1)                  | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   |
| Draughtsman Grade-II | 1* (2013)<br>* Subject to variation dependent on work load. | General Central Service Group "C" non-Gazetted non-Ministerial. | Pay band-1<br>₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 2400. | Selection.                                    | Between 18 and 27<br><br>(Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.<br><br>Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, | <b>Essential:</b><br>(i) 10+2 pass from a recognised Board or equivalent.<br>(ii) Two years Diploma or Certificate in Draftsmanship from a recognized Institution with a subject in computer aided design software.<br><b>Desirable:</b><br>One year's experience in Draftsmanship in the Central Government or the State Government or a public sector undertaking or an autonomous body.<br><b>Note 1.</b> —The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the |

|  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  | <p>Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Laskshadweep).</p> <p>Note 2.—In the case of recruitment made through employment exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.</p> | <p>Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if any, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p> |
|--|--|--|--|--|---|---|

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.   | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|--|------------------------------|--|--|--|--|
| (8)  | (9)                          | (10)   | (11)   | (12)   | (13)   |
| Not applicable.  | Two years.                   | Direct recruitment.  | Not applicable.  | <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:—</p> <p>(1) Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships -Chairman.</p> <p>(2) Administrative Officer, Directorate General of Lighthouses and Lightships -Member.</p> <p>(3) Under Secretary, Ministry of Shipping -Member.</p> | Not applicable.  |

[F. No. 3/6 / 2011-Admn-I]

Capt. A. M. SUREJ, Director General of Lighthouses and Lightships